



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय— साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)

फोन नं. 07759-221288 फैक्स नं. 07759-221929 पो.बाक्स नं.-12 पिन कोड-495677

Website : www.korbamunicipal.in

Email : Corporationkorba@gmail.com


फा.कमांक / 11 / भवन अनुज्ञा शाखा / 2026

कोरबा दिनांक: 7.04.2026

EOI No-188563

रूचि की अभिव्यक्ति

नगर पालिक निगम कोरबा, द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत विभिन्न भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट निर्माण हेतु पंजीकृत अशासकीय संगठनों (एन.जी.ओ) बेरोजगार इंजीनियर्स (सिविल) एवं एकीकृत पंजीयन प्रणाली अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से रूचि की अभिव्यक्ति निर्धारित ड्राइंग एवं डिजाईन अनुसार ऑफर दिनांक 28.04.26 को सांय 5.30 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। आवेदन के साथ राशि रू 1000/- नगर जमा कर रसीद प्रस्तुत करना होगा। ऑफर संबंधित विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम के वेबसाईट www.korbamunicipal.in से प्राप्त की जा सकती है।


भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय— साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)


फोन नं. 07759-221288 फैक्स नं. 07759-221929 पो.बाक्स नं.-12 पिन कोड-495677

Website : www.korbamunicipal.in

Email : Corporationkorba@gmail.com

शर्तें :-

01. संस्था पंजीकृत हो तथा किसी राज्य सरकार या सरकारी प्रतिष्ठान से मान्यता प्राप्त हो प्रमाण सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
02. आदेश प्राप्ति के पश्चात कार्य 01 माह में पूर्ण कर देना होगा।
03. अशासकीय संस्था द्वारा कार्य समयावधि में पूर्ण न करने पर संबंधित अशासकीय संस्था से लागत मूल्य का 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लंबित अवधि हेतु दण्ड देना होगा।
04. उपरोक्त कार्य का प्राक्कलन राशि संलग्न मानचित्र टाईप ए-हेतु 15,000/- एवं 20,850/- टाईप बी- हेतु 55,000/- जिसे लोक निर्माण विभाग के एस.ओ.आर. (भवन) दिनांक 01.01.2015 एवं नॉन एस.ओ.आर आयटम अनुसार तैयार किया गया है।
05. शासन को देय समस्त रायल्टी / करों/ शुल्को का भुगतान करने की जवाबदारी कार्य एजेंसी की होगी।
06. ऑफर स्वीकृत होने पर संबंधित कार्य एजेंसी को नगर पालिक निगम में उपस्थित होकर 03 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित करना होगा एवं आदेश की प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
07. कार्य प्रारम्भ न करने की स्थिति में निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित होगा।
08. सभी प्रमाण पत्र सत्यापित होना चाहिए एवं आवश्यक होने पर मूल प्रति अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा।
09. किसी भी ऑफर को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का निर्णय नगर पालिक निगम कोरबा का होगा जो सर्वमान्य होगा।
10. शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश में परिवर्तन होने पर संशोधित आदेश मान्य होगा।
11. कार्य हेतु राशि रु 10,000/- की अमानत राशि का टी.डी.आर. के रूप में ऑफर के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
12. ऑफर में भाग लेने वाली एजेंसी को आवेदन पत्र के साथ उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि पंजीयन प्रमाण -पत्र , आयकर प्रमाण पत्र, पेन कार्ड एवं छ.ग. वाणिज्य पंजीयन (जी.एस.टी.) प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि एफडीआर/टीडीआर जो आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम देय होगा, जो कि दिनांक 29.04.26 तक कार्यालयीन समय में संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)